न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 80/2026

चन्द्रकांत सैनी पता नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू पिनकोड 333042 मो.न. 9694873224

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ़।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 19.03.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 26.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 80/2026 पर दिनांक 26.02. 2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ़ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ़ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ़ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/609–10 दिनांक 05.03. 2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ़ ने पत्रांक आरटीआई/2026/28 दिनांक 19.03.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 22.01.2026 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन में अंकित बिन्दुओं पर जबाब तैयार कर अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2026/12 दिनांक 19.02. 2026 को प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक व ऑनलाईन पोर्टल द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 22.01. 2026 को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन में अंकित बिन्दुओं पर जबाब तैयार कर अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2026/12 दिनांक 19.02.2026 को प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक व ऑनलाईन पोर्टल द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। अपीलार्थी को सूचना भिजवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनू